कार्यालय : जिला एवं सैशन न्यायाधीश, दौसा (राज0)

क्रमांकः स्था0 / 2020 / 231   दिनांकः 03 / 10 / 2020

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 29 / पी.आई. / 2020 दिनांक 01 / 10 / 2020 की पालना में दौसा न्यायक्षेत्र के अधीन न्यायालयों में दिनांक 05 / 10 / 2020 से 16 / 10 / 2020 तक कार्य संचालन के संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :

(1) दिनांक 05 / 10 / 2020 से 16 / 10 / 2020 तक दौसा न्यायक्षेत्र के सभी न्यायालय नियमित रूप से कार्य करेगें एवं सभी मामलों / प्रकरणों की सुनवाई व्यक्तिशः अथवा विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यमसे की जावेगी। विडियो कॉन्फ्रेसिंग से सुनवाई को प्राथमिकता दी जावेगी। पक्षकारान् को उन्हीं मामलों में व्यक्तिशः न्यायालय में बुलाया जावेगा जिनमें उनकी उपस्थिति की अति–आवश्यकता हो।

(2) केवल उन्ही प्रकरणों में साक्ष्य को तलब किया जावे जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है अथवा माननीय उच्चतम् न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय या अपील / निगरानी न्यायालय द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश दिये गये हैं।

(3) अभियुक्त / परिवादी / पक्षकारान एवं साक्षियों के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनकी हाजिरी माफी के संबंध में निवेदन को विचार में रखा जावे। जहां तक हो सके पक्षकारान की गैरहाजिरी के संबंध में प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जावे।

(4) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 26 / पी.आई. / 2020 दिनांक 19 / 09 / 2020 में एवं समय समय पर केन्द्र सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा कोविड–19 की रोकथाम के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जावे।

(5) नये प्रकरण ई–फाइलिंग के माध्यम से भी प्रस्तुत किये जावेगें तथा इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 26 / पी.आई. / 2020 दिनांक 19 / 09 / 2020 की पालना की जावेगी।

(6) न्यायिक अभिरक्षा की रिमाण्ड अभिवृद्धि विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बढाई जावे।

(7) न्यायालय में केस डायरी मूल रूप से अथवा ई–मेल से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय अपने स्तर पर निर्देश जारी कर सकेंगे।

(8) न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी अधिवक्ता, कर्मचारीगण व पक्षकारान् आदि को मास्क पहनना आवश्यक होगा, साथ ही एक दूसरे से आपसी दूरी बनाये रखने की भी समुचित पालना की जावेगी।

(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सैशन न्यायाधीश
दौसा